संख्या-286/2023/सा0-317/23-1-2023-15सा0/20टीसी

प्रेषक,

आशुतोष कुमार द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2023

विषयः- उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में लोक निर्माण विभाग से संबंधित प्राविधानों के प्रख्यापन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 22.02.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत यदि किसी उद्यमी द्वारा प्रदेश में रू0 50.00 करोड़ या उससे अधिक लागत का बायोप्लाण्ट स्थापित किया जाता है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय नीति/मानकों के अन्तर्गत एप्रोच रोड की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु निम्नवत व्यवस्था की जाएगीः-

अ. लोक निर्माण विभाग के स्वामित्वाधीन मार्गों/एप्रोच रोड का निर्माण एवं अनुरक्षण, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

ब. किसी अन्य विभाग द्वारा निर्मित मार्ग के अनुरक्षण के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को मार्ग हस्तांतरित करने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को मोटरेबुल रखा जायेगा।

भवदीय,

आशुतोष कुमार द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-286/317/सा0-317(1)/23-1-23-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0शासन।
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0शासन।
7- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
8- निजी सचिव प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
10- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- गार्डफाईल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।